तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना/आवेदन संख्या 1322/18 बनाम रायबहादुर पुत्र रूपदान तह. बाड़मेर	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर सुरा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 08/06/18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर सुरा पर पत्रावली पेश हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

आदेश

08.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम को अटल सेवा केन्द्र सुरा पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर उपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सुरा जागीर में खसरा नम्बर 421/76 रकबा 23.00 बीघा एवं ग्राम सुरा चारणान में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 12.08 बीघा, खसरा नम्बर 218/51रकबा 08.10 बीघा, खसरा नम्बर 221/32 रकबा 08.11 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पैतृक है तथा प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रूपदान के मरणोपरान्त भरे गये नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम हुकमदान पुत्र रूपदान अंकित कर समस्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हुकमदान पुत्र रूपदान अंकित कर दिया है जो अशुद्ध नाम है। प्रार्थी का रेकर्डेड नाम रायबहादुरसिंह चारण है। प्रार्थी के पक्ष में जारी शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम रायबहादुरसिंह चारण अंकित है। प्रार्थी के पिता के मरणोपरान्त पारित नामान्तकरण में प्रार्थी का बचपन के घरेलु नाम हुकमदान के आधार पर राजस्व रेकर्ड हुकमदान अंकित किया, जो गलत है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में अपना नाम शुद्ध किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 हेतु आयोजित शिविर अटल सेवा केन्द्र सुरा में मजमे आम मे इस प्रकरण के बारे में उपस्थित ग्रामवासियो से जानकारी ली गई। प्रार्थी के भाई लाधुदान पुत्र रूपदान जो शिविर में उपस्थित था, से भी

पटवारी
(VDO सुरा)

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 1323/2017 अनदान राय बहादूरसिंह चारण बनाम तहसीलदार बाडमेर**
	जानकारी ली गई. तो उन्होंने प्रार्थी का सही नाम रायबाहुदरसिंह चारण होना बताया। बचपन से बोलचाल में प्रार्थी का नाम हुकमदान पुकारा जाता था। सरपंच ग्राम पंचायत सुरा चारणान द्वारा भी जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का सही नाम रायबहादुरसिंह चारण होना अंकित किया है। इस प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 शिविर अटल सेवा केन्द्र सुरा में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भू–अभिलेख निरीक्षक सुरा पटवारी हल्का सुरा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता रूपदान की मृत्यु पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 82 ग्राम सुरा चारणान में प्रार्थी का नाम हुकमदान अंकित हुआ है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम राय बहादुरसिंह चारण पुत्र रूपदान चारण अंकित है। तहसीलदार बाडमेर ने प्रार्थी का नाम सशोधन किये जाने की अनुशंसा प्रकट की है। अतः तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ग्राम सुरा जागीर में खसरा नम्बर 421/76 रकबा 23.00 बीघा एव ग्राम सुरा चारणान में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 12.08 बीघा, खसरा नम्बर 218/51 रकबा 08.10 बीघा, खसरा नम्बर 221/32 रकबा 08.11 बीघा भूमि के खातेदार हुकमदान पुत्र रूपदान के स्थान पर राय बहादुरसिंह चारण पुत्र रूपदान चारण सा. देह खातेदार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर

Scanned by CamScanner